

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़



पत्रांक : म.सु.वि.वि./सम्बद्धता/2024/1639

दिनांक : 30/08/2024

सेवा में,

प्रबन्धक,

मौ शकुन्तला इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन,

मतलूबपुर, आजमगढ़।

विषय— स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 18.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर, विचारोपरान्त मा० कुलपति जी के आदेश दिनांक 22.11.2023 के अनुपालन में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित निम्न अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट/पी-एच०डी० सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गई तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा निम्न चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.	अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	पद
1	डॉ० विकास कुमार प्रभात आधार सं०— 829503497067	श्री अखिलेश्वर मिश्र	12.12.1973	पी०एच—डी०—2012	प्राचार्य

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सुसंगत शासनादेश दिनांक—09 मई, 2000, 31 दिसम्बर—2010 एवं 25 नवम्बर, 2013 के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक/आर०टी०जी०एस०/एन०डू०एफ०टी० द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य/प्रबन्धक के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्स्ट्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन/विस्तरण, नेट/पी-एच०डी० प्रमाण-पत्र सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय

कुलसचिव